कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

निकाय क्षेत्र में सूचना/स्लोगन आदि वॉल राईटिंग/चित्रकारी कार्य

विकास यात्रा 2018

निविदा सूचना क्रं. 21/08.06.2018

//नियम व शर्तें//

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता – (1) पेन कार्ड (2) यदि पार्टनरशीप फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र।
इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।
05. अमानत राशि :– अमानत राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के **एफ.डी.आर.** के रूप में स्वीकार की जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	अनु. लागत लाख रू.	निविदा प्रपत्र मूल्य	अमानत राशि	
				राशि रू.	FDR
1	**निकाय क्षेत्र में सूचना/स्लोगन आदि वॉल राईटिंग/चित्रकारी कार्य विकास यात्रा 2018**	**5.00**	**750.00**	**5000.00**	FDR

06. लाख चापड़ा से सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।
07. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
08. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर. अथवा डी.डी. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
09. दरें समस्त कर सहित तथा कुल लागत सहित प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतान नहीं की जावेगी।
10. उपयोग किया गया सामग्री उच्च क्वालिटी का होना अनिवार्य है।
11. अति आवश्यक सेवा से संबंधित कार्य, कार्य की प्रकृति अनुसार अधिकतम 03 दिवस अथवा तत्काल पूर्ण करनी होगी।
12. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।
13. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "ए", "बी" व "सी" नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका क्रं. (04) एवं

Scanned by CamScanner

(05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी./एफ.डी.आर. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत, पात्र होने की दशा में ही कण्डिका क्र. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
15. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
16. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
17. सामग्री/कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्यादेश जारी किए जावेंगे।
18. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी/निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
19. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
20. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव के पास सुरक्षित रहेगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय सर्व मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner